राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–7) विभाग

क्रमांक प.7(1)गृह–7/2021 जयपुर, दिनांकः 20.01.2022

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09.01.2022 एवं दिनांक 13.01.2022 की निरन्तरता में जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार दिशा–निर्देश आदेश जारी किये जाते हैं:–

1. समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालय/व्यावसायिक एवं व्यापारिक संस्थानों/मार्केट एसोसिएशन को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्वयं/स्टाफ/कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज **(1st & 2nd dose)** लगवाये जाने से सम्बन्धित सूचना **दिनांक 1 फरवरी, 2022** से सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें, उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन के विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. हॉटल असोसिएशन/संचालकों को परामर्श दिया जाता है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर यदि कोई व्यक्ति पूर्व में की गई बुकिंग को निरस्त/आगामी दिवसों के लिए स्थगित करवाना चाहता है तो सम्बन्धित हॉटल संचालक पूर्व में किये गये भुगतान को लौटाना/समायोजित करने की कार्यवाही करें।
3. संपूर्ण प्रदेश में आयोजित होने वाले विवाह–समारोह में अधिकतम **100 व्यक्तियों** के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में बैण्ड–बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा।
4. विभागीय आदेश दिनांक 09.01.2022 अनुसार लगाये गये **जन–अनुशासन कर्फ्यू** (सप्ताह के प्रत्येक **शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार प्रातः 05:00 बजे** तक) प्रदेश के केवल **नगरीय क्षेत्रों** में लागू रहेगा इस दौरान आवश्यक गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी एवं संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन **रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे** तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा।
5. उक्त आदेश दिनांक 24 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा।

संयुक्त प्रवर्तन दल (JETs) एवं एंटी कोविड टीम (ACTs) मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर बाजारों एवं मॉल्स में कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क, दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन इत्यादि) की पालना करने हेतु जागरूकता का प्रसार करेंगी।

उक्त दिशा–निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अभय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त जिला कलक्टर।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर–पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

(सीमा कुमार)
संयुक्त शासन सचिव